ग्राम पंचायत समताना कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.14 से 31.03.17

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत समताना कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया ।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति रोमा कुमारी	01.04.14 से 22.01.16
2	श्रीमति अंजु बाला	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री दिनेश कुमार	01.04.14 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत समताना कलां, विकास खण्ड बिझड़ी के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना	-
2	5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.05
3	6	अनुदान का उपयोग न करना	21.61
4	7	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.92

भाग- दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत समताना कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल,

अनुभाग अधिकारी एवं श्री विद्यासागर, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 16.11.17 से 20.11.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2014-15	08/2014	12/2014
2015-16	05/2015	05/2015
2016-17	08/2016	02/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत समताना कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 554 दिनांक 20.11.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 216553 (KCCB) दिनांक 30.11.17 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत समताना कलां, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत समताना कलां, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	356532	150006	506538	114624	391914
2015-16	391914	115670	507584	22551	485033
2016-17	485033	110833	595866	61527	534339

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत समताना कलां, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	507649	2216017	2723666	1658768	1064898
2015-16	1064898	2309514	3374412	2595144	779268
2016-17	779268	3678128	4457396	2295980	2161416

बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹534339

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष : ₹2161416

स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में
दिनांक 31.03.17 को अन्तिम शेष : ₹2695755

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में अन्तिम शेष : ₹2695754.98

दिनांक 31.03.17 को हस्तगत राशि : शून्य

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN-A, KCCB -3830	534339
13th & 14th FC, PNB -507289	1454955.99
GEN-B, PNB – 7270	699500.99
IAY, KCCB – 4017	6959
MNREGA, PNB -510317	0
MNREGA, KCCB -04186	0
MNREGA, CBI -41576	0
कुल राशि	**₹2695754.98**

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था । अतः नियमों के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों से बैंक खातों के शेष के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.2 जांच में पाया गया कि स्व स्त्रौत की रोकड़ बही के पृष्ठ-91 में दिनांक 31.03.17 को ₹13794 का चैक लम्बित (Outstanding) दर्शाया गया था जो कि दिनांक 01.04.14 से पूर्व का लम्बित था, लेकिन चैक संख्या व चैक किसे जारी किया गया था अथवा जिससे प्राप्त किया गया था, का विवरण नहीं दिया गया था । अतः उक्त चैक के पूरे विवरण से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ तथा लम्बित राशि की सम्बंधित से वसूली की जाए।

5 पंचायत राजस्व ₹0.05 लाख की वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि विवाह पंजीकरण फीस के रूप में वसूली हेतु ₹4980 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें । निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹4980 की वसूली शेष थी ।

1. शादी की पंजीकरण फीस के रूप में ₹4980/- की कम वसूली :-

सयुंक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु

विवाह पंजीकरण फीस ₹200/- (बी.पी.एल.परिवार ₹25) एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण फीस ₹400 (बी.पी.एल.परिवार ₹50) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है । जांच में पाया कि माह 11/2016 से 03/2017 तक में निम्न विवरणानुसार ₹4980 पंजीकरण फीस के रूप में वसूल नहीं किए गए थे, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें । विवरण निम्नलिखित है :-

विवाह पंजीकरण रजिस्टर क्रमांक संख्या	**नाम**	**विवाह की दिनांक**	**पंजीकरण की दिनांक**	**वसूली योग्य पंजीकरण राशि**
26 (2016)	श्री विजय चन्द	02.11.16	09.11.16	200
27	श्री मिन्टू	04.11.16	10.11.16	200
28	श्री विनय कुमार	02.11.16	15.11.16	200-10=190
29	श्री प्रशान्त	16.11.16	28.11.16	200
30	श्री विवेक	25.11.16	02.12.16	200
31	श्री पंकज कुमार	23.11.16	06.12.16	200-10=190
32	श्री गौरव संख्यान	25.10.16	06.12.16	400
33	श्री शम्मी कुमार	03.12.16	12.12.16	200
34	श्री सुनील कुमार	30.11.16	15.12.16	200
35	श्री हरीश कुमार	15.09.16	15.12.16	400-100=300
36	श्री राकेश कुमार	08.12.16	19.12.16	200
37	श्री शमशेर सिंह	10.12.16	19.12.16	200
38	श्री अजय कुमार	10.12.16	21.12.16	200
39	श्री नीरज शर्मा	10.10.16	21.12.16	400
40	श्री कमल देव	01.12.16	21.12.16	200
41	श्री अमित शर्मा	08.12.16	21.12.16	200
42	श्री अविनाश	08.11.16	31.12.16	400
43	श्री विकास	01.12.16	27.01.17	400-100=300
44	श्री प्रदीप कुमार	22.01.17	30.01.17	200
1 (2017)	श्री मलकीत सिंह	22.01.17	09.02.17	200
2	श्री विरेन्द्र सिंह	05.02.17	24.02.17	200
		कम वसूली गई राशि		**₹4980.00**

उक्त राशि की वसूली न करने बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 553 दिनांक 20.11.17 द्वारा कहा गया था, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक 22.11.17 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त `₹4980/- की वसूली कर ली जाएगी । अतः वसूली करके पचायत के निधि खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ ।

2. <u>भू- राजस्व की वसूली न करना :-</u>

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 में भू-राजस्व की वसूली नहीं की गई थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे। अतः

नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें।

6 **अनुदान ₹21.61 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹2161416 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 **औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹ 1.92 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमंत्रित करना) प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹192187 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8 **पंचायत की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9 **विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
3. गृहकर रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना।
4. अग्रिम रजिस्टर तैयार न करना।
5. मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रख-रखाव का रजिस्टर तैयार न करना।

10 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

12 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)43/2017 खण्ड–1–3093–3096 दिनांक07.05.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बिझड़ी जिला हमीरपुर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत समताना कलां, विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881